न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 11/2020

वादोगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. जोगाराम पुत्र पूनाराम के कायम मुकाम :—		1. मीरादेवी पत्नि पन्नाराम जाति सीरवी निवासी भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
1/1 बाबुलाल पुत्र स्व.जोगाराम		2. भूमिधारी तहसीलदार बिलाडा
1/2 नारायणलाल पुत्र स्व.जोगाराम		3. उपपंजीयक बिलाडा
1/3 कानाराम पुत्र स्व.जोगाराम सभी जातियान सीरवी निवासीगण भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		
1/4 चुन्नी देवी पुत्री स्व.जोगाराम पत्नि अणदाराम जाति सीरवी निवासी भावी तहसील बिलाडा हाल मुकाम सीरवीयों का बास ग्राम पालासनी तहसील व जिला जोधपुर		

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी,एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :— वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार
प्रतिवादी संख्या 3 उपपंजीयक बिलाडा

निर्णय **दिनांक** :—

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम वादी की पु”तैनी कब्जा का”त की भूमि ग्राम भावी सीर[illegible] तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सीमा में खसरा नम्बर 10[illegible] रकबा 0.2459 [illegible] किस्म बारानी द्वितीय लगान 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:00 IST
Reason: SelfAttested

5600 रूपये वार्षिक स्थित है जिसे वाद के बकाया पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादी की उक्त वादग्रस्त भूमि का पट्टा वादी के पिता पूनिया के नाम से जारी हो रखा है जिसकी तायद में पटटे की फोटो प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादी सं. 1 ने तत्कालीन हल्का पटवारी भावी सीरवी बास से व अपने रि”तेदार दुर्गाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति सीरवी निवासी भावी के साथ मिलीभगत व साठगांठ कर कपट पूर्वक तरीके से मिथ्या शपथ पत्र पे”ाकर वादी की उक्त वादग्रस्त भूमि का फौतेदारी म्यूटे”ान सं. 2327 वादी के पिता का वारिस बताकर ‘ाडयंत्र पूर्वक अपने नाम करवा लिया। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा का”त वादी के पिता पूनीया के समय से ही वादी का ही आज दिन तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये ‘ाडयंत्र व कुटरचना की जानकारी दिनांक 04.02.2020 को हुई जब वादी अपनी उक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी व म्यूटे”ान की नकले लेने बाबत हल्का पटवारी भावी सीरवी बास से मिला। वाद कारण दिनांक 04.02.2020 को वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी व म्यूटे”ान की नकले लेने पर उत्पन्न हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पे”ा कर निवेदन किया है कि वादी को ग्राम भावी सीरवी बास के खसरा नम्बर 1027 का खातेदार का”तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 के नाम भरे गये म्यूटे”ान सं. 2327 को खारीज किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध स्थायी व्यादे”ा किया जावे कि वह वादी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने नोटिस लेने से इन्कार किया, जो पर्याप्त तामिल की श्रेणी में होने से प्रतिवादी संख्या 1 को उपस्थित हेतु अवसर प्रदान किया गया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 आगामी तारीख पे”ाी पर उपस्थित नही होने से दिनांक 11.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 प्रफोर्मा पक्षकार होने के कारण जवाब की आव”यकता नही है। प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार ने जवाब प”ा किया गया जिसकें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की पु”तैनी कब्जा का”त की भूमि ग्राम भावी सीरवी बास के ख.नं. 1027 रकबा 1.2459 हैक्टयर आई हुई है जो वर्तमान जमाबन्दी चौसाला 2076 [illegible] 9 के खाता सं. 858 में खातेदार मीरादेवी पत्नि पनाराम [illegible] दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त 2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:00 IST
Reason: SelfAttested

से 2030 से खाता सं. 309 में पूनिया वल्द दुर्गा कौम सीरवी सा.देह खातेदार के नाम ख.नं. 1027 रकबा 7–14 बीघा किस्म बारानी द्वितीय ल0 3.46 दर्ज है। ग्राम भावी एस.बी. में नामा.संख्या 2327 विरासत का भरा गया है। जिसमें प्रविष्टि पूनिया पत्र दुर्गाराम के स्थान पर मीरादेवी पत्नि पनाराम उर्फ पूनिया जाति सीरवी दर्ज हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा नामा. सं. 2327 को निरस्त किया जाकर ग्राम भावी के खसरा नम्बर 1027 में खातेदार घोषित करवाने की ईस्तदुआ की है जिसमें भूमिधारी की सहमति है।

वादीगण की ओर से स्वयं का साक्ष्य का शपथपत्र पे"ा किय गय। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दावा स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आव"यकता नही रही। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद"ा 1 जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 1027, प्रद"ा 2 जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 खसरा नम्बर 1027, प्रद"ा 3 म्यूटे"ान संख्या 2327 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रद"ा 4 सेटलमेन्ट विभाग के पटटा के प्रतिलिपि, आदि पे"ा किये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वादी अधिवक्ता ने अपने दावे में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस की एवं दावे को स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा 1027 रकबा 1.2459 हैक्टयर स्थित है। जमाबंदी संवत् 2068–2071 में खसरा नम्बर 1027 पूनीया पुत्र दुर्गाराम जाति सीरवी के नाम से दर्ज है। जबकि जमाबंदी संवत् 2076–2079 खसरा संख्या 1027 मीरादेवी पत्नि पनाराम उर्फ पूनीया के नाम से दर्ज है जो विरासत नामान्तरकरण संख्या 2327 से आया है। सेटलमेन्ट विभाग के पटटा में खसरा नम्बर 1027 पुनिया पुत्र दुर्गाराम के नाम से दर्ज है। सरकारी पैरोकार के जवाब का अवलोकन करने पर विदित हुआ है कि पुनिया पुत्र दुर्गाराम के स्थान पर मीरादेवी पत्नि पूनाराम उर्फ पूनिया का नाम विरासत नामान्तरकरण संख्या 2327 से आया है। वादी को खसरा नम्बर 1027 में खातेदार घोषित करने व नामा.संख्या 2327 को निरस्त करने में सहमति प्रदान की है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये [illegible] होने से वादो का दावा स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी [illegible] बास तहसील बिलाड़ा की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:00 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 1027 रकबा 1.2459 हैक्टयर में दर्ज नामान्तरकरण सं. 2327 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त पत्रावली तहसीलदार बिलाडा को इस आदेश के साथ प्रेषित की जाती है कि स्व. पूनाराम के विधिक वारिसानों की जॉच कर बाद जॉच नियमानुसार म्यूटे"ान स्वीकृति की कार्यवाही करे तथा बाद नामान्तरकरण स्वीकृति प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की घोषित भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं कर व न ही अपने किसी एजेन्ट, नोकर, मजदूर इत्यादि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल"ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:00 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. जोगाराम पुत्र पूनाराम के कायम मुकाम :– 1/1 बाबुलाल पुत्र स्व.जोगाराम 1/2 नारायणलाल पुत्र स्व.जोगाराम 1/3 कानाराम पुत्र स्व.जोगाराम सभी जातियान सीरवी निवासीगण भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 1/4 चुन्नी देवी पुत्री स्व.जोगाराम पत्नि अणदाराम जाति सीरवी निवासी भावी तहसील बिलाडा हाल मुकाम सीरवीयों का बास ग्राम पालासनी तहसील व जिला जोधपुर		1. मीरादेवी पत्नि पन्नाराम जाति सीरवी निवासी भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 2. भूमिधारी तहसीलदार बिलाडा 3. उपपंजीयक बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 11/2020

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पे"। होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम भावी सीरवो बास तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1027 रकबा 1.2459 हैक्टयर में दर्ज नामान्तरकरण सं. 2327 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त पत्रावली तहसीलदार बिलाडा को इस आदेश के साथ प्रेषित की जाती है कि स्व. पूनाराम के विधिक वारिसानों की जॉच कर बाद जॉच नियमानुसार म्यूटे"ान स्वीकृति की कार्यवाही करे तथा बाद नामान्तरकरण स्वीकृति प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की घोषित भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही अपने किसी एजेन्ट, नोकर, मजदूर इत्यादि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:00 IST
Reason: SelfAttested

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:54:00 IST
Reason: SelfAttested